143

समक्ष–न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी प्रकरण कमांक........../2016 606 I/17

आवेदक– निजाम सिंह गोंड़ आत्मज श्री फाकीरे सिंह आदिवासी निवासी–ग्राम नयागांव बुधनवारा, पोस्ट बचैया तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक– म0प्र0शासन

श्री .... द्वारा आज दि. 08.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदनपत्र–अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण/निगरानी आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–21/2014–15, में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017** से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:–

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम नयागांव बुधनवारा, पोस्ट बचैया, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी म0प्र0 का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक की भूमिस्वामी हक की भूमि **ग्राम पिपरिया (पोंड़ी) पटवारी हल्का नंबर 23/38 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी में खसरा नंबर 200** कुल रकवा 0.67 हे0 स्थित है जिसे आवेदक ने रजिस्टर्ड विकय के माध्यम से कय की है। **विकय पत्र एवं भू–अधिकार, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्नं है जो संलग्नक पी/1 है।**
3. यह कि आवेदक के द्वारा उक्त भूमि कृषि कार्य के लिये कय की गई थी किन्तु आवेदक की उम्र अधिक हो जाने के कारण वह उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने में अस्मर्थ हो गया है, वह उक्त भूमि को बेचकर उससे प्राप्त प्रतिफल से अपने पैत्रिक ग्राम स्थित भूमि को और अधिक कृषि योग्य बनावेगा अतः आवेदकक के द्वारा उक्त भूमि के विकय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक/13/ **अ–21/2014–15 के रुप में दर्ज किया** गया तथा दिनांक 24.01.2017 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। **पारित आदेश की मूलप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी/2 है।**
4. यह कि प्रश्नाधीन भूमि को विकय करने के उपरांत आवेदक के पास उसके पैत्रिक ग्राम बुधनवारा प0ह0नं0 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर 358, 364, 371, 434, 509 रकवा कमशः 0.80, 0.40, 0.03, 0.22, 0.61 हे0 कुल रकवा 2.06 हे0 सिंचित भूमि शेष बचती है जो उसके परिवार के जीवनयापन के लिये र्प्याप्त भूमि है। **ग्राम बुधनवारा स्थित भूमि की भू–अधिकार, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी/3 है।**
5. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी, बहोरीबंद को भेजा गया।
6. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, बहोरीबंद ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध

कमशः...2....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 606 / एक / 2017 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण कमांक 13 / अ–21 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 1– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई की, ग्राम पिपरिया (पोंड़ी) पटवारी हल्का नंबर 23 / 38 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी में खसरा नंबर 200 कुल रकवा 0.67 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है तथा आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से कय की गई है उक्त भूमि आवेदक के स्थाई निवास से दूर स्थित है को बेचकर आवेदक के पैत्रिक निवास के पास स्थित ग्राम बुधनवारा प0ह0नं0 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर 358, 364, 371, 434, 509 रकवा कमशः 0.80, 0.40, 0.03, 0.22, 0.61 हे0 कुल रकवा 2.06 हे0 सिंचित भूमि पर उन्नत कृषि कार्य करेगा जिस हेतु निगरानी आवेदनकर्ता ने ग्राम पिपरिया (पोंड़ी) पटवारी हल्का नंबर 23 / 38 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी में खसरा नंबर 200 कुल रकवा 0.67 हे0 भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबध्द कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बहोरीबंद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त प्रकरण में भूमि विकय की अनुमति प्रदान नही की गई ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

2– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र अवलोकन किया गया आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया कि आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है, तथा उक्त भूमि को भूमि को विक्रय के उपरांत ग्राम बुधनवारा प0ह0नं0 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर 358, 364, 371, 434, 509 रकवा क्रमशः 0.80, 0.40, 0.03, 0.22, 0.61 हे0 कुल रकवा 2.06 हे0 सिंचित भूमि शेष बचती है, एवं आवेदित भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदक भूमिहीन नहीं होगा। आवेदित भूमि को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी उससे वह उपरोक्त भूमियों को और अधिक कृषि उपयोगी बनावेगा जिसका उल्लेख आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र में भी किया है, ऐसी स्थिति में उसे आवेदित भूमि को विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपरोक्त भूमि से लाभ के स्थान पर उसे हानि होगी इसलिये आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये, किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दर्शित बिन्दुओं एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र पर तहसीलदार, बहोरीबंद द्वारा विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन हो जाने तथा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न हाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति नही दी गई तथा आवेंदनपत्र पर सद्भावी विचार नही किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश एवं कार्यवाही निरस्त किया जावे। अन्त में आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रार्थना कर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अनावेदक के अभिभाषक के द्वारा इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की गई।

3– उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना यह है कि क्या कलेक्टर जिला कटनी ने आदेश पत्रिका दिनांक 24.01.2017 में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् है अथवा नहीं क्योकि जब उक्त प्रकरण अनुविभागीय

अधिकारी एवं तहसीलदार के यहां जांच हेतु भेजा गया था एवं आवेदित भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच करने के उपरांत पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विक्रय की अनुशंसा सहित वापस भेजा गया, तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति आवेदक को प्रदान क्यों नही की गई क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तव में त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है ।

4– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम पिपरिया (पोंड़ी) पटवारी हल्का नंबर 23/38 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी में खसरा नंबर 200 कुल रकवा 0.67 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है तथा आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से कय की गई है उक्त भूमि आवेदक के स्थाई निवास से दूर स्थित है को बेचकर आवेदक के पैत्रिक निवास के पास स्थित ग्राम बुधनवारा प0ह0नं0 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर 358, 364, 371, 434, 509 रकवा कमशः 0.80, 0.40, 0.03, 0.22, 0.61 हे0 कुल रकवा 2.06 हे0 सिंचित भूमि पर उन्नत कृषि कार्य करेगा जिस हेतु आवेदक के द्वारा विकेता से समय–समय पर धनराशि भी प्राप्त की जा चुकी है, उक्त भूमियों पर आवेदक कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण–पोषण एवं जीविकोपार्जन अच्छी तरह से करेगा उक्त भूमियां उसके भरण–पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति पर सद्भाविक विचार किया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया ।

प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय करने का पात्र है अथवा नही :–

1– अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, बहोरीबंद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भेजे गए अपने जॉच प्रतिवेदनों में उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कय की गई भूमि है तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन नही होगा। आवेदक के पास आवेदित भूमि के विक्रय उपरांत उसके भरण–पोषण के लिये

कुल 2.06 हे0 सिंचित भूमि शेष बचती है जो उसके परिवार के भरण पोषण हेतु पर्याप्त भूमियां है।

2— प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को, प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है, आवेदित भूमि आवेदक को शासन से पट्टे पर प्रदान नही की गई है तथा उक्त भूमि को विक्रय करने के बाद बादे के पास कुल 2.06 हे0 सिंचित भूमि शेष बचती है। आवेदक आदिवासी जाति का है, जिसके कारण उसने आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति मांगी है, संहिता की धारा 165 (6) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी आदिवासी जाति का भूमिस्वामी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने अधिनस्थ से अपनी आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने विक्रय करने का अनुबंध शासन के निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार किया है, यदि अनुमति प्रदान की जाती है तो उक्त भूमि के विक्रय पंजीयन से शासन के पक्ष में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी, परिणामतः आवेदक को स्वःअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नही होती है किन्तु कलेक्टर कटंनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 13 / अ—21 / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को **ग्राम पिपरिया (पोंड़ी) पटवारी हल्का नंबर 23 / 38 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 200 कुल रकवा 0.67 हे0** को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर